कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 सूचना आयोग में 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त निस्तारित पत्रावलियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि निस्तारित ***पत्राविलयों के विनष्टीकरण*** (weeding) का कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जाये । उपरोक्त क्रम में, सुनवाई के उपरान्त निस्तारित पत्रावलियों के विनष्टीकरण की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :–

(i) प्रत्येक पीठ के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने साथ सम्बद्व एक कर्मचारी को पत्रावलियों के विनष्टीकरण की जिम्मेदारी दी जायेगी । संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रत्येक केलेण्डर वर्ष हेतु निम्न प्रारुप पर एक विनष्टीकरण रजिस्टर तैयार किया जायेगा :–

वर्ष : ——————

क्रमांक	अपील / शिकायत पंजीकरण संख्या	अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता का नाम व पता	जनसूचना अधिकारी का नाम / पदनाम / विभागीय पता	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम / पदनाम / विभागीय पता
1	2	3	4	5

अपील / शिकायत पर पारित अंतिम आदेश की तिथि	यदि अपील / शिकायत में अर्थदण्ड / क्षतिपूर्ति आरोपित है तो उसकी वसूली की सूचना प्राप्त होने की तिथि	यदि अपील / शिकायत में जनसूचना अधि0 के विरुद्व विभागीय कार्यवाही संस्तुत है, तो संबंधित विभाग से कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने की तिथि	अपील / शिकायत से संबंधित पत्रावली के विनष्टीकरण की तिथि	टिप्पणी (यदि कोई हो)
6	7	8	9	10

(ii) ऐसी समस्त पत्रावलियों को, जिनमें आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, अंतिम आदेश की तिथि से 6 माह बाद विनष्ट कर दिया जायेगा । विनष्टीकरण से पूर्व निर्णीत पत्रावली में से अंतिम आदेश को निकालकर वर्षवार/माहवार बनाई गई एक अन्य पत्रावली में रखा जायेगा तथा निर्णीत पत्रावली के शेष अभिलेख विनष्ट कर दिये जायेंगे । विनष्टीकरण से पूर्व निर्णीत पत्रावली के सुसंगत विवरण विनष्टीकरण रजिस्टर में अंकित किये जायेंगे ।

(iii) ऐसी निर्णीत पत्रावलियों को, जिनमें जनसूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है अथवा आवेदक को क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश है, उपरोक्तानुसार विनष्ट नहीं किया जायेगा । यदि अर्थदण्ड के विरुद्व संबंधित जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई विधिक प्रकिया अपनाई जाती है तो ऐसी प्रकिया की समाप्ति की तिथि के 6 माह बाद अथवा अर्थदण्ड की वसूली की सूचना प्राप्त होने के 6 माह बाद, जो भी बाद में हो, आयोग के अंतिम आदेश को उपरोक्तानुार पृथक कर वर्षवार/माहवार बनायी गयी अलग पत्रावली में रखते हुए, निर्णीत पत्रावली के अवशेष अभिलेखों को विनष्ट किया जायेगा । इसी प्रकार ऐसी पत्रावलियों को, जिनमें आवेदक को क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं, क्षतिपूर्ति दिये जाने की सूचना प्राप्ति की तिथि के 6 माह बाद, आयोग के अंतिम आदेश को उपरोक्तानुसार अलग पत्रावली में रखते हुए, निर्णीत पत्रावली के अवशेष अभिलेखों को विनष्ट किया जायेगा ।

(iv) ऐसी निर्णीत पत्रावलियों को, जिनमें आयोग द्वारा जनसूचना अधिकारी के विरुद्व विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है, संबंधित विभाग से कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने की तिथि के 6 माह बाद, उपरोक्तानुसार आयोग के अंतिम आदेश को अलग पत्रावली में रखते हुए निर्णीत पत्रावली के अवशेष अभिलेखों को विनष्ट किया जायेगा ।

(v) यदि आयोग के किसी आदेश के विरुद्व मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय में कोई रिट अथवा अन्य कार्यवाही लम्बित है तो इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली पर मा0 न्यायालय के आदेश के अनुरुप कार्यवाही करने के उपरान्त ही पत्रावली के विनष्टीकरण पर विचार किया जायेगा ।

(vi) निर्णीत पत्रावलियों को विनष्ट करने से पूर्व संबंधित कर्मचारी विनष्टीकरण पंजिका में दर्ज की गयी विनष्ट की जाने वाली पत्रावलियों की सूची को पीठ के पीठासीन अधिकारी को अवलोकित करायेंगे ।

2— उपरोक्त आदेश 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है ।

(एस0 के0 ओझा)
सचिव

उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ।

पत्र सं0 /सचिव/2015, दि0 मार्च, 2015

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग।
2— प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार, उ0प्र0 शासन ।
3— सचिव, राज्य सूचना आयोग ।
4— विधि अधिकारी, राज्य सूचना आयोग ।
5— गार्ड फाइल ।

(तेजस्कर पाण्डेय)
उपसचिव